



सूचना/साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षक का पैनल तैयार करने हेतु आरएफपी

03 फरवरी, 2020

आरएफपी संदर्भ सं.: रा.आ.बैंक (नदि)/एडी/ए-1162/2019

लेखापरीक्षा विभाग
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड
नई दिल्ली -110003
दूरभाष: 011-2464 9031-35
ई-मेल: amit.sinha@nhb.org.in ; prabhat.ranjan@nhb.org.in

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

शब्द संग्रह

संक्षेपाक्षर	विवरण
NHB	राष्ट्रीय आवास बैंक
HO	मुख्यालय, दिल्ली
RRO	क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय
PSU	सार्वजनिक क्षेत्र इकाई
SBI	भारतीय स्टेट बैंक
PSB	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक
EMD	बयाना जमा राशि
RFP	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
ISA	सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा / लेखा परीक्षक
CSA	साइबर सुरक्षा परीक्षा / लेखा परीक्षक
PBG	कार्य निष्पादन बैंक गारंटी
AMC	वार्षिक अनुरक्षण लागत
OEM	मूल उपकरण निर्माता

व्याख्या: शब्द आरएफपी, निविदा, बोली एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं एवं इसे एक व इस आरएफपी दस्तावेज के प्रयोजनार्थ एक जैसा ही समझा जाये। सभी स्पष्टीकरण, संशोधन, आशोधन, पूरक जो इस आरएफपी के संबंध में जारी किये जा सकते हैं, इस आरएफपी के हिस्से एवं अभिन्न अंग के तौर पर समझा जाएगा एवं आरएफपी दस्तावेज में समाविष्ट होंगे।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	03.02.2020
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक (तिथि एवं समय)	1100 बजे 14.02.2020
3.	बोली दस्तावेज की बिक्री हेतु अंतिम तिथि एवं समय	1800 बजे 28.02.2020
4.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	1800 बजे 28.02.2020
5.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	1500 बजे 02.03.2020
6.	आरएफपी का मूल्य (अप्रतिदेय)	5,000/- (लागू करों सहित)
7.	बयाना जमा-राशि	50,000/- (लागू करों सहित)
8.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, लेखा परीक्षा विभाग, मुख्यालय, कोर5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

टिप्पणी: -

- तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल अथवा रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम, के तहत की गयी है।

क. रा.आ.बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षक प्राधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करना।
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में है।

3. प्रयोजन:

➤ राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) (तत्पश्चात बैंक के रूप में संदर्भित) निम्नलिखित सेवाओं को प्रदान करने के लिए पात्र विक्रेताओं से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) निविदा आमंत्रित करने का प्रस्ताव करता है:

- नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक प्रतिष्ठित आईटी लेखा परीक्षा फर्म के माध्यम से बैंक के संपूर्ण आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, एप्लिकेशन और वेब फेसिंग पोर्टल के लिए सूचना सुरक्षा / साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा का संचालन करने के हेतु हितबद्ध है। संबंधित गतिविधियों को कार्यक्षेत्र में परिभाषित किया गया है। बैंक की आवश्यकतानुसार प्रणाली का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, बैंक सीएसओसी और साइबर सुरक्षा ढांचे की स्थापना की प्रक्रिया में है। इसे लागू करने के बाद, इसे सूचना / साइबर लेखा परीक्षा के अंतर्गत भी शामिल किया जाएगा, लेकिन भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और अन्य मानक अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों तक सीमित नहीं हैं। उक्त को लागू करने के पश्चात, इसे सूचना / साइबर लेखा परीक्षा के अंतर्गत भी शामिल किया जाएगा, लेकिन भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सीईआरटी-इन, एनसीआईपीसी के दिशानिर्देशों और अन्य मानक अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों तक सीमित नहीं हैं।
- आरएफपी का उद्देश्य सूचना / साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा समनुदेशन के लिए योग्य बोलीदाताओं से प्रस्तावों की मांग करना है। इसके अंतर्गत उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार पूर्वोक्त कार्य हेतु बोलीदाताओं से तकनीकी बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।
- प्रस्ताव दस्तावेज के लिये अनुरोध में उस सूचना से उत्पन्न विवरण शामिल होते हैं जो निर्धारित तिथि में प्रासंगिक माने जाते हैं, किंतु इसका अभिप्राय सभी जानकारी प्रदान करना नहीं, जो आवश्यक या वांछनीय हो बल्कि इच्छुक अनुबंध पार्टी को रा.आ.बैंक के साथ अनुबंध या प्रबंधन में प्रवेश करें या नहीं, यह निर्धारित करने हेतु सक्षम बनाना है। इस दस्तावेज में दिए गए या किए गए किसी भी जानकारी या विवरण की सटीकता या पूर्णता के रूप में न तो रा.आ.बैंक और न ही उसका कोई कर्मचारी, एजेंट, ठेकेदार या परामर्शदाता कोई प्रतिनिधित्व

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

या वारंटी देता है। न तो रा.आ.बैंक और न ही उसके किसी कर्मचारी, एजेंट, ठेकेदार या परामर्शदाता ने दस्तावेज के किसी भी भाग की विषय-सूची के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षा या सत्यापन किया है या करेगा।

किसी भी कानून के विपरीत, और कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, रा.आ.बैंक और उसके अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, एजेंट, और परामर्शदाता इस आरएफपी दस्तावेज में निहित पूर्वानुमान, विवरण, अनुमान, या पूर्वानुमान सहित किसी भी जानकारी को कार्य से अलग करने या किसी व्यक्ति द्वारा वहन कर रहे किसी भी हानि या क्षति से सभी देयताओं को अस्वीकार करता है या सहायक आचरण अपनाता है कि क्या रा.आ.बैंक या उसके किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, एजेंट, या परामर्शदाता की किसी भी लापरवाही, चूक, देखभाल की कमी या गलत बयानी के संबंध में हानि या क्षति उत्पन्न होती है या नहीं।

4. उद्देश्य:

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 से आरंभ करने के लिए 5 साल हेतु (कार्यान्वयन के पश्चात) आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, एप्लीकेशन और वेब फेसिंग एप्लीकेशन / पोर्टल्स, सीएसओसी और साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की सूचना सुरक्षा / साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा गतिविधि का संचालन करने के लिए विक्रेताओं का पैनेल तैयार करने हेतु परिकल्पित करता है, मौजूदा बुनियादी ढांचे की सहनीयता सुरक्षा उपायों को बढ़ाता है और नियत समय में सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं और मानकों को अनुकूलित करता है।

5. कार्य-क्षेत्र:

रा.आ.बैंक के अधिकांश कार्यों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है और उन्हें एकल ईआरपी प्लेटफॉर्म (सैप) के तहत लाया गया है। बैंक के प्रतिदिन के कार्यों में आईटी प्रणालियों पर बहुत निर्भरता रही है। इसलिए बैंक की आईटी और आईएस अवसंरचना की आलोचनात्मकता को बढ़ा दिया है।

रा.आ.बैंक ने अपने आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम(सीएसए), एप्लीकेशन और सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा (आईएसए)/ साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा करने का प्रस्ताव किया है, जो मौजूदा बुनियादी ढांचे की जांच करने, सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं और मानकों को अपनाने के लिए एक दृश्य के साथ अनुप्रयोगों / पोर्टलों का उपयोग करता है। सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा (आईएसए) / साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा (सीएसए) आईएसओ 27001, भारतीय रिजर्व बैंक, सीईआरटी-इन, एनसीआईआईपीसी, भारत सरकार, ओडब्ल्यूएसपी और उक्त हेतु अन्य मानक अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सलाहकार जिम्मेदार होंगे। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों या सेवाओं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, वे सही तौर पर कार्य निष्पादन हेतु जरूरी या उपयुक्त हैं और उन्हें इस आरएफपी के तहत अंतर्निहित और समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और वेंडर के बोलीदाता में विशेष रूप से बताया गया है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

5.1 बैंक की अवसंरचना का संक्षिप्त अवलोकन

इनके एमपीएलएस वैन आर्किटेक्चर के तहत रा.आ.बैंक के दिल्ली कार्यालय में चार लैन सेगमेंट हैं, दो अपने मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में और एक लैन प्रत्येक प्रतिनिधि कार्यालय में है। सभी कार्यालय एमपीएलएस कनेक्टिविटी के माध्यम से किसी भी से किसी को भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में क्रमशः 34 एमबीपीएस और 16 एमबीपीएस बैंडविड्थ के साथ सेवा प्रदाता की कठिनाई कम कर रहा है। प्रतिनिधि कार्यालय 1 एमबीपीएस के लास्ट मील के माध्यम से एमपीएलएस क्लाउड से जुड़े हैं जो आरएफ लिंक और आईएसडीएन लिंक के माध्यम से दिया गया है। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास दो अलग-अलग सेवा प्रदाताओं से एमपीएलएस के माध्यम से आरबीआई-एनडीएस एप्लिकेशन चलाने हेतु दिल्ली में एक समर्पित लैन है। एनडीएस आवेदन हेतु मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में अलग एमपीएलएस लिंक भी उपलब्ध है।

बैंक की एमआरओ मुंबई में अपनी डिजास्टर रिकवरी साइट है जो सैप सिस्टम और फ़ाइल सर्वर से मिलकर पूरी तरह से परिचालन डीआर साइट है। डेटा सेंटर और डीआर साइट दोनों रियल टाइम सिंक में अधिकतम 15 मिनट के अंतराल के साथ हैं।

मुख्यालय, नई दिल्ली

सर्वर	संख्या
सर्वर- विंडो 2008/2012 प्लेटफ़ॉर्म पर - एसक्यूएल सर्वर / एक्सचेंज सर्वर / सैप सर्वर और अन्य सहित	116

पीसी	प्लेटफ़ॉर्म	संख्या
1. लैन पर ग्राहक मशीनें	विंडो विस्ता/7/ विंडो 8/10	193
2. लेपटॉप/मोबाइल कम्प्यूटर	विंडो 7/8/10	114

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

सर्वर	संख्या
सर्वर - विंडो 2008/2012 प्लेटफ़ॉर्म पर - एसक्यूएल सर्वर सहित	16

पीसी	प्लेटफ़ॉर्म	संख्या
1. लैन पर ग्राहक मशीनें	विंडो विस्ता/7/ विंडो 8/10	11
2. लेपटॉप/मोबाइल कम्प्यूटर	विंडो 7/8/10	2
3. लेपटॉप/मोबाइल कम्प्यूटर	विंडो 7/8/10	7

*कृपया ध्यान दें कि पूर्वोक्त सूची परिवर्तन के अधीन है।

5.2 परियोजना का दायरा

यह सूचना सुरक्षा / साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, एप्लीकेशन और वेब फेसिंग अनुप्रयोगों / पोर्टलों को दिल्ली स्थित बैंक के मुख्यालय और सीएसओसी, साइबर सुरक्षा ढांचे (कार्यान्वयनके पश्चात) सहित मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कवर करेगी। इसके अतिरिक्त, बैंक के अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में अपने प्रतिनिधि कार्यालय हैं, जो मुख्यालय स्थित केंद्रीकृत डेटा सेंटर से जुड़े हैं। सूचना सुरक्षा / साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा इन प्रतिनिधि कार्यालयों हेतु लागू अभिगम नियंत्रण तंत्र को भी कवर करेगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

सूचना सुरक्षा / साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा तीन चरणों में संचालित की जानी है:

फेस- I मूल्यांकन

फेस-II संचार

फेस-III समीक्षा और प्रमाणन / अंतिम अनुपालन रिपोर्ट

5.3 प्रदेय परियोजना

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का संदर्भ लें।

5.4 परियोजना अनुसूची

आईएस लेखा परीक्षकों के पैनल तैयार करने के पश्चात, पैनल आईएस लेखा परीक्षकों की सूची से, वाणिज्यिक बोलियों को बुलाया जाएगा और L1 बालीदाता का चयन आईएस लेखा परीक्षा हेतु किया जाएगा। चयनित विक्रेता को कार्य आदेश / सेवा अनुबंध के कार्य नियुक्ति के 10 दिनों के भीतर आईएस लेखा परीक्षा करने के लिए रा.आ.बैंक दिल्ली और मुंबई में अपने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करनी होती है। परियोजना के फेस-I के पूरा होने की समय-सीमा 4-6 सप्ताह होगी और फेस- II के लिए 2-3 सप्ताह की होगी। आईएसए के निष्कर्षों और सिफारिशों के अनुपालन की समीक्षा करने हेतु कार्य विक्रेता (चरण - III) द्वारा किया जाना था। कार्य आईएसए के 1-2 महीने के पूरा होने के पश्चात किया जाएगा और लेखा परीक्षा की समीक्षा के एक सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र / अनुपालन रिपोर्ट जारी की जाएगी। पूरा कार्य (लेखा परीक्षा आरंभ होने से लेकर लेखा परीक्षा के समापन तक) 6 महीने से अधिक नहीं होगा।

6. संविदा की अवधि:

पैनल बैंक द्वारा जारी किए गए आईएस लेखा परीक्षा हेतु पैनल तैयार करने के लिए पत्र की स्वीकृति से **5 वर्ष** हेतु वैध होगा।

सभी पैनल विक्रेताओं को 30 दिनों की अवधि के साथ पैनल तैयार करने के पत्र की स्वीकृति के पश्चात सेवा स्तरीय करार (एसएलए) और अप्रकटीकरण करार(एनडीए) को निष्पादित करना होगा। वाणिज्यिक बोली के आधार पर बोलीदाता को संविदा प्रदान की जाएगी, जिन्हें कोटेशन पत्र में निर्धारित अन्य नियम और शर्तों एवं पैनलबद्ध आईएस लेखा परीक्षा से मांगा जाना है, पैनल विक्रेताओं से वाणिज्यिक बोलियों को वहन करने वाले कोटेशन की प्राप्ति और मूल्यांकन पर। संविदा L1(न्यूनतम) बोलीदाता को दी जाएगी। टाई के मामले में, बैंक के पास तकनीकी मूल्यांकन के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर विक्रेता का चयन करने का अधिकार है।

(दो परिणामी आईएस लेखा परीक्षा कार्यों को एक ही आईएस लेखा परीक्षा को नहीं दिया जाएगा।)

7. बोलीदाताओं को निर्देश

- बोलीदाताओं से अपेक्षा का जाती है कि वे बोली दस्तावेजों में सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों एवं विनिर्देशों को जांच लें। बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में सभी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न करने पर बोली स्वीकार नहीं की जाएगी एवं यह बोलीदाता के स्वयं के जोखिम पर होगा।
- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक प्राप्तकर्ता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र परामर्शदाता/ओं को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें

अमित सिन्हा सहायक महाप्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक, लेखा परीक्षा विभाग मुख्यालय कोर 5-ए, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष सं.: 011-39187122 ईमेल: amit.sinha@nhb.org.in	प्रभात रंजन उप प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक, लेखा परीक्षा विभाग मुख्यालय कोर 5-ए, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष सं.: 011-39187160 ईमेल: prabhat.ranjan@nhb.org.in
--	--

- रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।
- यदि कोई पृष्ठताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति से सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रातः 11.00 से सायं 05.30 बजे के बीच बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- बोलीदाता को भारत में किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ बैंक/वित्तीय संस्थान के द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।
- रा.आ.बैंक उपयुक्त समझने पर संविदा सौंपने से पहले किसी भी समय पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.1 बोली लगाने की प्रक्रिया

वर्तमान कार्य के उद्देश्य के लिए, बोलीदाताको केवल एक लाल लेक-मुहरबंद लिफाफे (मोम की मोहर) में तकनीकी बोली जमा करनी होगी, जिसमें विधिवत "सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा - तकनीकी बोली" लिखा हो। तकनीकी बोली में कोई मूल्य निर्धारण या व्यावसायिक जानकारी शामिल नहीं होगी।

बोली को अमिट स्याही में टाइप या लिखा जाएगा और बोलीदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्राधिकरण को बोली के साथ लिखित मुख्तारनाम द्वारा इंगित किया जाएगा। बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा बोली के सभी पृष्ठ आरंभ किए जाएंगे।

बोलीदाता द्वारा किए गए त्रुटियों को ठीक करने के लिए आवश्यक के अलावा बोली में कोई अंतरविरोध, मिटाना या ओवरराइटिंग नहीं होगी, इस स्थिति में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा सुधार किया जाएगा।

7.2 बोली खोलना और मूल्यांकन

बैंक बोलीदाताओं के प्रतिनिधि की उपस्थिति में बोली खोलेगा, जो ऊपर बताए गए पते पर बोली दस्तावेज में उल्लिखित समय और तारीख में शामिल होना चाहते हैं।

जो बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, वे उपस्थिति दर्ज करते हुए पंजीकरण करेंगे। बोली खोलने की निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में, बैंक के लिए अवकाश घोषित करने के पश्चात, बोलियां अगले कार्य दिवस पर नियत समय और स्थान पर खोली जाएंगी।

बैंक द्वारा निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले और इस दस्तावेज के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए बोली लगाने के लिए लघु-सूचीबद्ध किया जाएगा। बैंक को किसी भी कारण को बताए बिना बोलीदाता द्वारा किसी भी तकनीकी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

7.3 बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी/निविदा से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में स्पष्ट की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में दिनांक 14 फरवरी, 2020 को 15:00 बजे से पहले अथवा ईमेल द्वारा या पोस्ट द्वारा इस आरएफपी के खंड 7 पर उल्लिखित पते/ई-मेल पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

7.4 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति रा.आ.बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी। बोलीदाताओं को खंड 7.12(i) में यथा उल्लेखित रा.आ.बैंक के खाते में ईसीएस के माध्यम से 5,000/- ₹. (पांच हजार रूपए मात्र) की अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान करना होगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

भुगतान का प्रमाण संलग्न हो एवं तकनीकी बोली वाले लिफाफे में रखा जाय ऐसा न करने पर बोली के आगे मूल्चांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.5 निविदा/आरएफपी की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

7.6 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फॉर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ. बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.7 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- संशोधन रा.आ. बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर पोस्ट किया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को स्कैप करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.8 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

7.9 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास आरएफपी में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

7.10 बोली में शामिल दस्तावेज

1. अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
2. अनुलग्नक II में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता के अनुभव का ब्यौरा;
3. अनुलग्नक III में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
4. अनुलग्नक IV में निर्धारित प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई हो;
5. अनुलग्नक V में निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम पात्रता पर सूचना;
6. तकनीकी प्रस्ताव: तकनीकी बोली अनुलग्नक VI में निर्धारित प्रारूप में आवरण पत्र के साथ अनुलग्नक VII में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। अनुलग्नक I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV तकनीकी प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
7. अनुलग्नक VIII में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
8. अनुलग्नक IX के अनुसार निर्धारित प्रारूप में योग्यता का पत्र;
9. अनुलग्नक X के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमुख कर्मों का बायोडाटा;
10. अनुलग्नक XI में प्रारूप में एस्कलेशन मैट्रिक्स ;
11. अनुलग्नक XII में प्रारूप में संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (जहां भी लागू हो) (संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए 100/- रू. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सही तरीके से टंकित कर प्रस्तुत करना होगा और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से भी हस्ताक्षर किया जाएगा। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तारीख होनी चाहिए)
12. अनुलग्नक XIII में दिये गये प्रारूप के अनुसार सेवा स्तरीय करार
13. अनुलग्नक XIV में दिये गये प्रारूप के अनुसार अप्रकटीकरण करार
14. अनुलग्नक XV में दिये गये प्रारूप के अनुसार निष्पादित बैंक गारंटी

टिप्पणी: आरएफपी मूल्य और ईएमडी राशि के बिना बोलीयां अस्वीकार कर दी जाएगी।

7.11 बोली मुद्रा

- i. बोलियां केवल भारतीय रुपए में उद्धृत होंगी।

7.12 बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

बयाना जमा-राशि के लिए कृपया अंग्रेजी आर एफ पी का सन्दर्भ लें।

- i. रा.आ.बैंक का खाता जहां ईएमडी और आरएफपी लागत जमा की जानी है:

क्र.सं.	प्रकार	लाभार्थी का ब्यौरा
1	नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	पता	कोर 5 ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3	बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4	बैंक की शाखा	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	बैंक खाता सं.	52142903844

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं.	110002658

- i. ईएमडी भुगतान और आरएफपी के मूल्य का प्रमाण संलग्न करें एवं तकनीकी बोली वाले लिफाफे में रखें; ऐसे न करने पर बोली के मूल्यांकन पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को यथा **अनुलग्नक - VIII** में संलग्न ईसीएस अधिदेश प्रापत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।
- ii. उचित रूप और तरीके में ईएमडी के बिना प्राप्त किसी भी बोली को अनुत्तरदायी और अस्वीकार माना जाएगा।
- iii. ईएमडी से छूट के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iv. जैसा यहां बताया गया है वैसा या फिर जैसा निर्धारित करार में बताया गया है, सभी असफल बोलीदाताओं की बयाना जमा राशि निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर लौटा दिया जाएगा।
- vi. ईएमडी प्रतिभूति जब्त की जा सकती है
 - यदि बोलिदाता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोलीयां वापस ले लेता है।
 - यदि बोलिदाता कोई बयान देता है या किसी भी फोर्म को संलग्न करता है जो संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय गलत/त्रुटिपूर्ण हो।
 - सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता संविदा हस्ताक्षर में विफल रहता है; और
 - पूर्व अनुबंध अखंडता समझौते के किसी भी उल्लंघन के मामले में

7.13 कार्यान्वयन अनुसूची

- चयनित विक्रेता को कार्य आदेश की स्वीकृति के 10 दिनों के भीतर सेवाएं शुरू करने के लिए रा.आ.बैंक मुख्यालय में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा।
- बोलीदाता सेवाएं सुपुर्द करने हेतु जिम्मेदार होगा।

क्र.सं.	घटना	सुपुर्दगी अनुसूची (कार्य आदेश/लेटर ऑफ अवॉर्ड स्वीकार करने की तारीख से)
1.	प्रारंभिक बैठक	7 दिन
2.	सेवाएं प्रारंभ करना	10 दिन

- आरएफपी के शर्तों के अनुसार एसएलए के निष्पादन के बाद ही बिलिंग चक्र प्रारंभ होगा।

7.14 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छः माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ. बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली की प्रतिभूति भी बढ़ा दी जाएगी।

7.15 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में होगी :

- प्रत्येक बोली में न्यूनतम पात्रता मानदंड और तकनीकी बोली शामिल होगी। उपरोक्त कंटेंट "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित किए जाएंगे।
- वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोलीदाता के लिए बाध्य विधिवत प्राधिकृत एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

7.16 बोलियों की मुहरबंदी एवं चिन्हांकन

- नॉन-विंडो एवं मुहरबंद लिफाफा जिसमें तकनीकी सह प्रस्ताव पर "राष्ट्रीय आवास बैंक में सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा का पैलन तैयार करने हेतु प्रस्ताव" लिख कर नीचे दिए गए पते पर राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम होगा:

उप महाप्रबंधक
लेखा परीक्षा विभाग
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड
नई दिल्ली -110003

- सभी लिफाफों पर संपर्क नंबर और ईमेल पते के साथ बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए।
- बोलीदाता तकनीकी प्रस्तावों वाले लिफाफों को मुहर बंद करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर "राष्ट्रीय आवास बैंक सूचना साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा के पैलन तैयार करने हेतु तकनीकी प्रस्ताव" और "राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव" अलग से लिखा हो।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो रा.आ. बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

7.17 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ. बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ. बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, बैंक और बोली दाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत् रहेंगे।

7.18 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियों जमा करने की अंतिम तिथि के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

7.19 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर बोलियों को विनिर्दिष्ट तिथि और समय पर बैठक में भाग लेने वाले बोलीदाता प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रा.आ.बैंक समिति द्वारा खोला जाएगा।

- तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:

राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरा तल-पांचवा तल, भारत पर्यावास केंद्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली –110 003

- बोलीदाता के नाम और अपेक्षित ईएमडी, आरएफपी की कीमत के होने या नहीं होने तथा अन्य ब्योरे जिसे रा.आ.बैंक अपने निर्णयानुसार उचित समझता है, की घोषणा तकनीकी बोली खोलने के समय की जाएगी।

7.20 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.21 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

7.22 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

7.23 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को रा.आ.बैंक के पूर्व लिखित अनुमति को छोड़कर किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं कर

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

सकता है और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने खुद की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

7.24 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

- परामर्शदाता के पास इस परियोजना के अंतर्गत सभी अपेक्षित सहायता प्रदान करने हेतु नई दिल्ली और मुंबई में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए।

7.25 मैयूअल/दस्तावेज

परामर्शदाता को सूचना के स्थानांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ संविदा की अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए सेवाओं हेतु अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध करानी होगी।

7.26 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

7.27 कीमतों को प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा, जिसे बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर चयनित विक्रेताओं से आह्वान पर बुलाया जा सकता है। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

7.28 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें निविदा के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड अनुलग्नक-IV के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

7.29 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

7.30 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

7.31 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

7.32 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाय।

7.33 कानूनों का अनुपालन

(क) परामर्शदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएंके बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) परामर्शदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे बैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक परामर्शदाता को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत परामर्शदाता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.34 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोलीदाता वारंट देता है कि साइबर सुरक्षा ढांचा कार्यावयन फर्म के रूप में इसके चयन की स्थिति निम्नलिखित हैं:

- (क) इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (ख) यह आगे की गारंटी देता है कि वितरित किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों, कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित, का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (ग) ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर- उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ. बैंक किसी भी तरह के व्यय, प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
- (घ) इस खंड में वर्णित क्षतिपूर्ति की बाध्यता केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जब क्षतिपूरित पक्ष क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष को ऐसे दावों का अविलंब लिखित में नोटिस प्रदान करे, क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष को ऐसे दावों का बचाव करने, प्रबंध करने, बातचीत करने अथवा निपटाने का पूरा अधिकार प्रदान करे एवं दावों (क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के खर्च पर) का बचाव करने में हर संभव सहायता उपलब्ध कराये। उपरोक्त के होते हुए भी कोई भी पक्ष किसी निपटारे अथवा समझौते कराने में अथवा जो क्षतिपूरित पक्ष आवश्यक होगा की तरह क्षतिपूरित पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी प्रकार के भुगतान करने अथवा कोई अन्य मूल दायित्वों का वहन कराने में सहमत कराने के लिए अधिकृत नहीं है। इस खंड में वर्णित क्षतिपूर्ति की बाध्यता इस प्रकार के संबोधित मामलों के लिए पक्षों की पूरी देयता को दर्शाते हैं।
- (ङ) बोलीदाता स्वीकार करता है कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि आरएफपी में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारने में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

7.35 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिया जाएगा:

क यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल धरोहर राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो यथोचित कार्रवाई यथा बैंक द्वारा विनिश्चित है, लागू होगी।

8. तकनीकी बोली मूल्यांकन कार्यप्रणाली

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

i. बोली के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली

भूमिका

(क) आरएफपी में वर्णित राष्ट्रीय आवास बैंक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चयनित बोलीदाता के पास सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तकनीकी अनुभव एवं वित्तीय साधन जो आवश्यक अवसंरचना को सफलतापूर्वक स्थापित करने एवं अनुबंध की संपूर्ण अवधि के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मांगी गयी सेवाओं के लिए आवश्यक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में अपेक्षित अनुभव होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपनाये जाने वाली प्रस्तावित बोलियों की मूल्यांकन प्रक्रिया को नीचे स्पष्ट किया गया है। इसका उद्देश्य केवल बोलीदाता को मूल्यांकन प्रक्रिया का एक विचार प्रदान कराना है जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक अपना सकता है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास बिना कोई कारण बताये जो भी हो निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर (संभावित बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने से पूर्व) मूल्यांकन प्रक्रिया का संशोधन करने एवं ऐसे किसी भी बदलाव पर बोलीदाताओं को अवगत कराने की किसी आवश्यकता के बिना संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी अथवा सभी बोलीदाताओं से विशिष्ट स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है।

(ख) कृपया यह भी ध्यान दें कि राष्ट्रीय आवास बैंक के पास ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि उक्त अपूर्ण पाया जाता है अथवा इस आरएफपी दस्तावेज में दिये गये विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) सबसे पहले बोलीदाता द्वारा इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में प्रदान किये गये 'न्यूनम पात्रता मानदंड' का विवरण का खंड में वर्णित मानदंड के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस आरएफपी के तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तर पर केवल उन वेंडरों पर विचार किया जाएगा जो न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करते हों।

ii. तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रत्युत्तरों का मूल्यांकन निम्नलिखित खंडों में उल्लिखित मानदंड के आधार पर किया जाएगा।

क. न्यूनतम पात्रता मानदंड

क्रम सं.	मानदंड
1.	बोलीदाता को कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत पंजीकृत कंपनी, या साझेदारी अधिनियम 1932 / एलएलपी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म होना चाहिए।
2.	विगत 5 वर्षों के दौरान (यानी 01.4.2014 से 31.03.2019 के बीच) बोलीदाता को कम से कम एक 2 एससीबी/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान में साइबर सुरक्षा ढांचे के कार्यान्वयन का काम/मूल्यांकन करना चाहिए, और ईआरपी / डाटा सेंटर में आईएस / साइबर लेखा परीक्षा संचालित करने का भी अनुभव है।
3.	सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठन के रूप में बोलीदाता को सीईआरटी-इन के साथ पैनल किया जाना चाहिए।
4.	बोलीदाता कंपनी के पास अपने पेरॉल में कम से कम 25 योग्य सूचना सुरक्षा / साइबर सुरक्षा पेशेवर (प्रमाणित DISA / CISA / CISM / CDAC / CEH) होना चाहिए।
5.	बोलीदाता का दिल्ली एनसीआर/मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में अपना स्वयं का कार्यालय हो।
6.	बोलीदाता को विगत पांच वर्षों में भारत में किसी भी सरकारी वित्तीय संस्थान/बैंक/आरबीआई/आईसीएआई/आईबीए/सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में न डाला गया हो/विवर्जित न किया गया हो एवं काली सूची प्रवृत्त न हो।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

7.	बोलीदाता राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी निदेशक अथवा कर्मचारी वर्तमान व वे जो विगत दो वर्षों में सेवा निवृत्त हुए हैं दोनों व उनरके किसी रिश्तेदार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन न हो। इसके अतिरिक्त बोलीदाता किसी भी कार्य चाहे वह 'कार्य/जॉब/नियुक्ति' से जुड़ा है, के लिए भागीदारों, कर्मचारियों या ठेकेदारों के रूप में किसी पूर्ववर्ती व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा और न ही वे किसी भी विधि में 'कार्य/जॉब/नियुक्ति' से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ उठाएंगे।
8.	विगत तीन वर्ष यानि 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान फर्म की जानकारी/साइबर सुरक्षा गतिविधियों से औसत सालाना कारोबार कम से कम 5 करोड़ रुपये हो। (प्रमाणित सनदी लेखाकार)

क. बोलीदाता प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उपरोक्त उल्लिखित सभी मापदंडों के संबंध में संबंधित प्रारूपों में दी गई सूचना का दस्तावेजी साक्ष्य (बैंक को स्वीकार्य) प्रस्तुत करे। उपरोक्त मापदंड पूरा न करने वाले बोलीदाता के प्रस्ताव अथवा वे बोलीदाता जो बैंक को संतुष्ट करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न करे, उनकी बोलियां अस्वीकृत कर दी जाएगी।

ख. न्यूनतम पात्रता मापदंड पूरा करने वाले बोलीदाता पर ही तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

i. बोलीदाताओं से प्राप्त तकनीकी बोलियां उपलब्ध बोलीदाताओं की उपस्थिति में निश्चित समय पर ही खोली जाएगी।

ख तकनीकी पात्रता मानदंड

तकनीकी बोली का विश्लेषण एवं मूल्यांकन प्रत्येक बोली को निर्दिष्ट तकनीकी अंक (टीएस) के आधार पर किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन का अंकों का वितरण मापदंड निम्नलिखित तालिकानुसार होगा।

अंकों का वितरण (अधिकतम अंक 100)

क्र.सं.	विवरण	अंक
भाग I		
1.	आईएस लेखा परीक्षक / साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा करने हेतु फर्म के अनुभव वर्षों की संख्या (कम से कम दो ग्राहकों से संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही विचार किया जाएगा)	
	10 वर्ष से अधिक	20
	7 वर्ष से अधिक लेकिन \leq 10 वर्ष	15
	07 वर्ष से अधिक लेकिन \leq 07 वर्ष	10
2.	भारत में एससीबी / एआईएफ / विनियामक निकायों के लिए आईएसए / सीएसए शुरू करने के लिए फर्म की योग्यता	
	7 इकाईयों से अधिक	20
	5 से अधिक लेकिन \leq 7 इकाई	15
	3 से अधिक लेकिन \leq 5 इकाई	10
3.	आईएस / साइबर लेखा परीक्षा को संभालने वाली फर्म की भूमिका पर योग्य व्यवसायियों का विवरण। निम्नलिखित व्यवसायी योग्यता पर विचार किया जाएगा {प्रमाणित DISA / CISA / CISM / CDAC /ISO 27001}	

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

	7 व्यवसायिकों से अधिक	20
	50 से अधिक लेकिन \leq 75 से कम	15
	25 से अधिक लेकिन \leq 50 से कम	10
4.	ISO प्रमाणन 9001: आईएस लेखा परीक्षा / सॉफ्टवेयर लेखा परीक्षा / साइबर लेखा परीक्षा क्षेत्र का अनुरक्षण / गतिविधि हेतु 27001 या उच्चतर / सीएमएमआई स्तर 5 या उससे ऊपर का प्रमाण पत्र	
	हां	20
	नहीं	00
5.	सूचना सुरक्षा / साइबर सुरक्षा सेवाओं से फर्म की औसत वार्षिक आय केवल पिछले तीन वर्षों के दौरान यानी 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान	
	25 करोड़ से अधिक	20
	15 से अधिक लेकिन \leq 25 करोड़	15
	10 से अधिक लेकिन \leq 15 करोड़	10
	05 से अधिक लेकिन \leq 10 करोड़	07

ii. बोलीदाता उपरोक्त प्रत्येक मापदंड के लिए समर्थित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराएं ऐसा न करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

ii. तकनीकी बोलियों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक कुल 100 अंक (प्रस्तुततिकरण के अंक सहित) में से 65 (कट ऑफ मार्क) होगा।

9. भुगतान की शर्तें

भुगतान की प्रक्रिया हेतु पैलन तैयार करने के पश्चात निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

- आदेश की स्वीकृति पर अग्रिम भुगतान के रूप में संविदा मूल्य का 50% अग्रिम भुगतान केवल एक वर्ष तक वैध समान राशि के कार्य निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने पर जारी किया जाएगा।
- आईएस / साइबर लेखा परीक्षा पूरा होने और वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात वार्षिक अनुबंध दर का 50%

नोट: यदि चयनित विक्रेता आदेश देने के एक महीने के भीतर बैंक गारंटी जमा नहीं करता है, तो कोई अग्रिम राशि जारी नहीं किया जाएगी और पूर्ण भुगतान संबंधित वर्ष हेतु परियोजना के पूरा होने के पश्चात ही किया जाएगा।

9.1 अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान

पूरे अनुबंध को पूर्ण रूप से पूरा किया जाना है और बोलीदाता द्वारा परियोजना को पूरा करने के लिए किसी भी पूर्व समाप्ति/असमर्थता के परिणामस्वरूप बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत ईएमडी का कोई भुगतान नहीं होगा। बैंक द्वारा प्रो-रटा भुगतान के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: राष्ट्रीय आवास बैंक में साइबर सुरक्षा परामर्शदाता की नियुक्ति

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

**किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।*